

प्रधानमंत्री का जीवन अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति में बदलाव लाने की तपस्या है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण की शपथ दिलाई व सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया

जयपुर, 7 अक्टूबर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानसरोवर के वी.टी. रोड स्थित मेला ग्राउण्ड में “विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा” कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अविराम जनसेवा यात्रा के 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलक्ष्य में अयोजित विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा के माध्यम से आज पूरा राष्ट्र एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का पिछले ढाई दशकों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्र-प्रथम, कठिन परिश्रम और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की एक महान तपस्या है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-मुंबई (दिल्ली-जयपुर खंड सहित), अमृतसर-जामनगर एवं अन्य प्रमुख जयपुर-किशनगढ़-जोधपुर-पचपदरा एक्सप्रेसवे तथा बीकानेर-कोटपुतली एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में रोड नेटवर्क का विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जयपुर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए 11,764 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर रिंग रोड उत्तर परियोजना का कार्य भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने 13 हजार करोड़ रुपये लागत की जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फंड-2



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानसरोवर के वी.टी. रोड स्थित मेला ग्राउण्ड में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मशाल जलाकर सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया।

को स्वीकृति दी है। इसके तहत, 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा, जिसमें 36 स्टेशन होंगे।

कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने

उपस्थित जनसमूह को विकसित भारत के निर्माण की शपथ दिलाई तथा मशाल जलाकर सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया। इस दौरान वे स्वयं भी इस यात्रा

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है।

में शामिल हुए और कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। मुख्यमंत्री ने यात्रा की समाप्ति पर मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में अटल काव्य स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठीड, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, विधायक कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा, बालमुकुन्दाचार्य, महेन्द्रपाल मीणा, गुरवीर सिंह बराड, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण बग्गा, जयपुर नगर निगम महापौर सुनील कोठारी व उप महापौर सरोज कंवर सहित, जिलाध्यक्ष, पार्षदगण, पूर्व सैनिक, लोक कलाकार गुलाबी सेनरा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सभी जिलों से स्थानीय जनप्रतिनिधिगणों, पार्टी पदाधिकारियों एवं जन समूह ने वीसी के जरिए सहभागिता की।

वैज्ञानिक हेनरी कागन व केंसो सोई को रसायन का नोबल मिला

दोनों वैज्ञानिकों को असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर- रेखिक प्रभावों की खोज के लिये यह पुरस्कार दिया जायेगा

■ हाई कोर्ट ने ऑडिट से जुड़े कानूनी ढांचे पर स्पष्टता मांगी।

मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सत्य निकेतन जैसी घटनाओं पर गौर करते हुए प्राधिकारों से 28 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। इंद्रप्रस्थ रेनेसां ट्रस्ट की याचिका में दिल्ली में इमारतों के लगातार गिरने पर चिंता जताते हुए संरचनात्मक एवं आग से सुरक्षा के समयबद्ध एवं समग्र उपायों पर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। सत्य निकेतन इमारत गिरने का हादसा 6 सितंबर को हुआ था, जिसमें मलबे में कई छात्र दब गए थे।

स्टॉकहोम, 07 अक्टूबर। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी. कागन और जापान के केंसो सोई को वर्ष 2026 के लिए संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नोबेल समिति ने बुधवार को स्टॉकहोम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की।

नोबेल समिति के मुताबिक, दोनों वैज्ञानिकों को असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर-रेखिक प्रभावों और स्व-उत्प्रेरण की खोज के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाएगा। उनको दिसंबर में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाएगा।

इस वर्ष नोबेल पुरस्कार की राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना (लगभग 11.51 करोड़ रुपये) है। यह राशि

■ कागन और सोई के शोध ने रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने में मदद की है, कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे नियंत्रित किया जाये।

दोनों विजेताओं के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति-पत्र और पदक भी प्रदान किया जाएगा। कागन और सोई के शोध ने रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने में मदद की है कि

ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, जिनमें एक-दूसरे की दृष्टि छवियों वाले दो अलग-अलग अणु बन सकते हैं। इन अणुओं को एनेन्टियोमर कहा जाता है।

जीवन के लिए आवश्यक कई अणु केवल इन दोनों दर्पण-रूपों में से किसी एक रूप में पाए जाते हैं। इस विशेषता को समझाने की चिरंजिवी (होमोचिरैलिटी) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों में सामान्यतः एक ही चिरल रूप का उपयोग होता है। वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि प्रकृति में यह एकरूपता रासायनिक व्यवस्था कैसे विकसित हुई।

दो अफीम तस्करों को 15 साल की सजा

जयपुर, 7 अक्टूबर। एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने मणिपुर के ईफाल इलाके से प्रदेश में अफीम तस्करी करने के दो अभियुक्तों – टूक चालक मल्लाराम और खलासी आईदान राम को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने

■ टूक चालक मल्लाराम और खलासी आईदान राम मणिपुर से 40-45 किलो अवैध अफीम तस्करी करके लाते हुए पकड़े गए थे।

अभियुक्तों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर लाल ने अदालत को बताया कि एनसीबी की क्षेत्रीय इकाई को 21 जनवरी, 2020 को गोपनीय सूचना मिली थी कि 22 जनवरी को दोस्त से जयपुर जाने वाले एक टूक में 40-45 किलोग्राम अवैध अफीम की तस्करी की जा रही है।

गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए जोधपुर की टीम ने आगरा रोड पर बस्सी थाना इलाके में राजाधीक टोल प्लाजा पर टूक को रोककर उसकी जांच की। टूक में केबिन के ऊपर छत पर 42 पैकेटों में 42 किलो 380 ग्राम अवैध अफीम मिली।

इस टूक में 505 बोरी बाजरा भरा हुआ था। पृष्ठताल में टूक चालक ने यह मादक पदार्थ सांघोर निवासी दिनेश बिश्नोई का होना बताया। अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए।

वृंदावन : पानी के टैंक की सफाई में जहरीली गैस से चार छात्रों की मौत

गुरुकुल के संचालक ने रात 10 बजे छात्रों को 12 फिट गहरे पानी के टैंक को साफ करने के लिये कहा था

■ पाणिनी संस्कृत गुरुकुलम में 100 छात्र रह कर संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। जहां गुरुकुलम है वहां एक साल पहले तक उमा कमल के नाम से गैस्ट हाउस चलता था।

आचार्यों व छात्रों की मदद से सभी को बाहर निकाला।

सूचना पाकर पर पहुंची पुलिस छात्रों को रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम तथा सौ शैया अस्पताल ले गई, जहां

डॉक्टरों ने मनु कटारे (22, जबलपुर), विश्व शर्मा (19, मेरठ), आर्यन पांडेय (16, प्रयागराज) और देवांश शर्मा (17) को मृत घोषित कर दिया। रुद्राक्ष अस्पताल में भर्ती है।

आरबीआई ने 2 5 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है। ऊंची ब्याज दरों से महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती हैं, लेकिन इससे खपत, घरों की मांग, कंपनियों के निवेश और फ़ैड्रिट ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है।

इसी वजह से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी को बहुत ज्यादा ख़तरा के बजाय, एक नया-तुला कदम माना जा रहा है। इसका सीधा संदेश यह है कि आरबीआई महंगाई को बढ़ने से रोकना चाहता है, लेकिन इसके लिए आर्थिक गतिविधियों को ज़रूरत से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।

अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह ब्याज दर बढ़ाने के एक नए दौर की शुरुआत है या सिर्फ़ एहतियात के तौर पर की गई एक बार की बढ़ोतरी है।

यह काफी हद तक अगले कुछ महीनों में महंगाई की दिशा पर निर्भर

बाँंग्लादेश के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कहा है कि वे दिसंबर 2026 तक स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटना चाहती है। उनका कहना है कि वे अवामी लीग के वरिष्ठ नेताओं के साथ, अदालत में आपसमर्पण करने की योजना बना रही हैं, भले ही उन्हें उनकी गिरफ्तारी या उससे भी ज्यादा गंभीर परिणामों का खतरा हो। उन्होंने उन पर लगाये गये आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और इस बात पर सवाल उठाया है कि उनके मामले को तारिक रहमान की भारत यात्रा से क्यों जोड़ा जा रहा है।

भारत ने कहा है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध तय कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है और इसमें अदालतों की ही मुख्य भूमिका है। भारत ने यह भी कहा है कि इसकी कोई निश्चित समयसीमा बनाना संभव नहीं है। भारत ने शेख हसीना के 2024 में भारत आने को एक ऐसे मौजूदा प्रधानमंत्री के भारत आने के रूप में बताया है, जिनके साथ पड़ोसी देश के नाते कर्तव्यों का पालन किया गया।

बीएनपी अपने रुख पर अड़ी हुई है, क्योंकि शेख हसीना का भारत में रहना और वहां से उनके सार्वजनिक बयान बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखे जाते हैं। बीएनपी के अनुसार, इससे आंदोलन के बाद बनी नई राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी बाधा आ रही है।

2024 के आंदोलन के आधार पर सत्ता में आने वाली और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार के लिए शेख हसीना की वापसी केवल घरेलू राजनीतिक विषयसंश्लेषण का मुद्दा नहीं है। यह इस बात की भी परीक्षा है कि क्या भारत बांग्लादेश के नए लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करता है।

कोलकाता, 07 अक्टूबर ।

दुबई भागकर पत्नी के साथ खाड़ी देश में बसने का सपना देख रहे पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के फर्जी डॉक्टर शेख साइदुल की योजना पर पानी फिर गया। पत्नी को साथ ले जाने के इरादे से मंगलवार को दिल्ली पहुंचे साइदुल को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही पुलिस ने धर दबोचा। बुधवार को बर्धमान थाने की एक विशेष टीम उसे दूॉजित रिमांड पर पश्चिम बंगाल लाने के लिए दिल्ली रवाना हो चुकी है।

शेख साइदुल की फर्जी गतिविधियों का खुलासा सितंबर के पहले हफ्ते में हुआ था। पूर्व

■ शेख साइदुल अपनी पत्नी के साथ दुबई भागने की फिराक में था, जब पुलिस ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार किया।

बर्धमान के नवाबहाट स्थित लाइफ केयर नामक एक निजी नर्सिंग होम में फाइमोसिस की सर्जरी के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे के परिवार ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था। मृतक बच्चे की मां शिल्पा राय ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें फोन पर धमकियां दी जा रही थीं।

बर्धमान थाना पुलिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच में सामने आया कि सर्जरी

करने वाले शेख साइदुल के पास कोई वैध मेडिकल डिग्री नहीं थी और वह फर्जी डिग्री के सहारे प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी निशानदेही पर स्वास्थ्य विभाग को कई अन्य संदिग्ध फर्जी डॉक्टरों की जानकारी भी मिली। घटना के बाद प्रशासन ने उक्त नर्सिंग होम को सील कर दिया और पुलिस ने उसके दो संचालकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि साइदुल फरार हो गया था।

गजट नोटिफिकेशन के नियमों का संशोधन कार्यालय आदेश से नहीं हो सकता- हाई कोर्ट

अदालत ने राजस्थान वॉटर सप्लायर नियमों में संशोधन कर 12 फरवरी 2025 का परिपत्र रह दिया

■ जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, प्रक्रिया का सरलीकरण करने और सुविधाएं देने के नाम पर प्रशासनिक आदेशों से नियमों में मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

प्रक्रिया ही परिवर्तित हो रही है। प्रक्रिया का सरलीकरण करने और सुविधाएं देने के नाम पर प्रशासनिक आदेशों से नियमों में मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे में 12 फरवरी को जारी परिपत्र का रद्द कर दिया है। जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने ये आदेश पीप्लवर्कडी कॉन्ट्रैक्टर कल्याण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि ऐसे संशोधन केवल गजट नोटिफिकेशन के जरिए ही किया जा सकता है। वर्तमान मामले में जिस प्रकार के संशोधन नियमों में किए गए हैं, उससे संपूर्ण प्लंबिंग, जल मीटर, रोड कट, कनेक्शन लगाना आदि की संपूर्ण

अलावा पूर्व में लाइसेंसी प्लंबरों के कार्य का निरीक्षण करने वाले पीप्लवर्कडी के जेईएन को हटा दिया गया है। इससे याचिकाकर्ता समिति से जुड़े करीब पांच हजार प्लंबरों का रोजगार छिन जाएगा। याचिका में कहा गया कि नियमों को परिपत्र के आधार पर संशोधित नहीं किया जा सकता। ऐसे में 12 फरवरी को जारी परिपत्र को रद्द किया जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वाटर सपलाई एंड सीवेज कॉर्रेपोरेशन एक्ट, 1979 की धारा 68 के तहत विभाग, सरकार की पूर्व अनुमति से नियमों को बनाने, संशोधित करने और रूपांतरित कर सकता है। ऐसे में नियमों में किया गया संशोधन वैध है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने नियमों में संशोधन के लिए जारी 12 फरवरी, 2025 के परिपत्र को रद्द कर दिया है।